रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.) 72

11/12/86

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 237] नई दिल्ली, सोमवार, अक्तूबर 20, 1986/आश्विन 28, 1908
No. 237] NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 20, 1986/ASVINA 28, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

नई दिल्ली, 20 अक्तूबर, 1986

अधिसूचना

सं. एफ. 4(5) डब्ल्यू एण्ड एम/86 :—10.50 प्रतिशत ऋण 1996 (दूसरा निर्गम) और 11.30 प्रतिशत ऋण, 2004 के लिए 600 करोड़ रुपयों की कुल राशि के वास्ते 27 अक्तूबर, 1986 को बैंकिंग समय की समाप्ति तक अभिदान नकदी में स्वीकार किये जायेंगे। परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 के अधीन किसी राज्य सरकार द्वारा 27 अक्तूबर, 1986 को छुट्टी घोषित किये जाने पर अगले कार्य दिन बैंकिंग समय की समाप्ति तक संबंधित आदाता कार्यालयों में अभिदान स्वीकार किये जायेंगे। सरकार को 600 करोड़ रुपयों से अधिक प्राप्त 10 प्रतिशत या यथासंभव उसके निकट तक के अभिदानों को रख लेने का अधिकार है।

2. यदि उपर्युक्त ऋणों की कुल अभिदान राशि 660 करोड़ रुपयों से अधिक हो तो नकदी वाले अभिदाताओं को आनुपातिक आधार पर आंशिक आबंटन किया जाएगा। यदि आंशिक आबंटन किया जाता है तो आंशिक आबंटन के बाद यथाशीघ्र अधिक अभिदान की राशि लौटा दी जाएगी। इस प्रकार लौटायी गयी राशियों पर कोई ब्याज अदा नहीं किया जाएगा।

3. रु. 100.00 प्रतिशत की दर पर जारी किया जाने वाला और 12 मई, 1996 को सममूल्य पर प्रतिदेय 10.50 प्रतिशत ऋण, 1996 (दूसरा निर्गम)।

(i) वापसी अदायगी की तारीख—ऋण 12 मई, 1996 को सममूल्य पर वापस अदा किया जाएगा।

(ii) निर्गम मूल्य—प्रत्येक रु. 1000.00 (सांकेतिक) का निर्गम मूल्य रु. 1000.00 होगा।

(iii) ब्याज—इस ऋण की ब्याज पर 27 अक्तूबर से वार्षिक 10.50 प्रतिशत होगी। 27 अक्तूबर, 1986 से 11 नवम्बर, 1986 (उस दिन सहित) तक की अवधि का ब्याज 12 नवंबर, 1986 को अदा किया जायेगा और उसके बाद प्रत्येक छमाही में 12 मई और 12 नवम्बर को ब्याज अदा किया जाएगा। इस प्रकार अदा किये गये ब्याज पर नीचे दिये हुए अनुच्छेद 6 और 8 के उपबंधों के अधीन आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत कर लगेगा ब्याज की शुद्ध राशि निकटतम 5 पैसे में पूर्णांकित करने के बाद अदा की जायेगी।

4. रु. 100.00 प्रतिशत की दर पर जारी किया जाने वाला और 27 अक्तूबर, 2004 को सममूल्य पर प्रतिदेय 11.30 प्रतिशत ऋण, 2004

(i) वापसी अदायगी की तारीख—ऋण 27 अक्तूबर, 2004 को सममूल्य पर वापस अदा किया जाएगा।

(ii) निर्गम मूल्य—प्रत्येक रु. 1000.00 (सांकेतिक) का निर्गम मूल्य रु. 1000.00 होगा।

(iii) ब्याज—इस ऋण की ब्याज दर 27 अक्तूबर, 1986 से वार्षिक 11.30 प्रतिशत होगी। प्रत्येक छमाही में 27 अप्रैल और 27 अक्तूबर को ब्याज अदा किया जाएगा। इस प्रकार अदा किये गये ब्याज पर नीचे दिये हुये अनुच्छेद 7 और 8 के उपबंधों के अधीन आयकर अधिनियम, 1961 अंतर्गत कर लगेगा ब्याज की शुद्ध राशि निकटतम 5 पैसे में पूर्णांकित करने के बाद अदा की जायेगी।

पूरक व्यवस्थाएं

5. आवेदन-पत्र निम्नलिखित कार्यालयों में स्वीकार किये जाएंगे :—

(क) अहमदाबाद, बंगलूर, भुवनेश्वर, बंबई (फोर्ट और भायखला), कलकत्ता, गौहाटी, हैदराबाद, जयपुर, कानपुर, मद्रास, नागपुर, नयी दिल्ली, पटना और त्रिवेन्द्रम में स्थित भारतीय रिज़र्व बैंक के कार्यालय; और

(ख) उपर्युक्त (क) में दिये गये स्थानों को छोड़कर भारत में सभी जिला मुख्यालयों में भारतीय स्टेट बैंक की शाखाएं।

6. ब्याज अदा करने का स्थान—इन ऋणों पर भारतीय रिज़र्व बैंक के अहमदाबाद, बंगलूर, भुवनेश्वर, बंबई, कलकत्ता, गुहाटी, हैदराबाद, जयपुर, कानपुर, मद्रास, नागपुर, नयी दिल्ली, पटना और त्रिवेन्द्रम में स्थित लोक ऋण कार्यालयों तथा भारत में जम्मू और कश्मीर तथा सिक्किम राज्यों को छोड़कर अन्यत्र किसी राजकोष या उप राजकोष में ब्याज अदा किया जाएगा।

7. ब्याज अदा करते समय (वार्षिक वित्त अधिनियमों द्वारा निर्धारित दरों पर) काटे गये कर की वापसी अदायगी उन ऋण-धारकों को प्राप्त होगी जिन पर कर लागू नहीं है या जिन पर ऐसी दरों पर कर लागू होता है जो काटे गये कर की दर से कम हों।

जिस धारक पर कर लागू नहीं है या निर्धारित दर से कम दर पर कर लागू है वह जिले के आयकर अधिकारी को आवेदन कर उससे एक ऐसा प्रमाणपत्र प्राप्त कर सकता है जिसमें यह प्राधिकृत किया गया हो कि कर की कटौती किये बिना या धारक पर लागू होने वाली न्यूनतम दर पर कर की कटौती करके उसे ब्याज अदा किया जाए।

भारत का निवासी ऐसा व्यक्ति जिसकी कुल आय छूट की सीमा से अधिक नहीं है, ब्याज अदा करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को निर्धारित फार्म में दो प्रतियों में घोषणा-पत्र भेजने पर कर की कटौती किये बिना ब्याज की राशि प्राप्त कर सकता है।

8. अब जारी किये जाने वाले ऋणों पर ब्याज और इसके पहले की अन्य सरकारी प्रतिभूतियों पर मिलने वाले ब्याज तथा अन्य अनुमोदित निवेशों से मिलने वाली आय को वार्षिक 7,000 रुपयों की सीमा तक और आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80S के अन्य उपबंधों के अधीन आयकर से छूट प्राप्त होगी।

9. अब जारी किये जाने वाले ऋणों में किये जाने वाले निवेशों के मूल्य और इसके पहले सरकारी प्रतिभूतियों में किये गये अन्य निवेशों और संपत्ति कर अधिनियम की धारा 5 में निर्दिष्ट अन्य निवेशों के मूल्य को भी संपत्ति कर से छूट प्राप्त होगी।

10. 10.50 प्रतिशत ऋण, 1996 (दूसरा निर्गम) के संबंध में प्रतिभूतियां निम्नलिखित के रूप में जारी की जाएंगी—

(1) स्टाक प्रमाणपत्र या, (2) वचनपत्र

यदि आवेदक इस संबंध में कोई विकल्प न दे तो प्रतिभूतियां स्टाक प्रमाणपत्रों के रूप में जारी की जाएंगी। 11.30 प्रतिशत ऋण, 2004 के संबंध में प्रतिभूतियां केवल स्टाक प्रमाणपत्रों के रूप में जारी की जायेंगी।

11. ऋणों के लिए आवेदनपत्र—ऋणों के लिए आवेदनपत्र रु. 1000 या उसके गुणजों के लिए होने चाहिएं।

12. आवेदनपत्र इसके साथ संलग्न फार्म में या किसी ऐसे दूसरे फार्म में होने चाहिएं जिसमें अपेक्षित प्रतिभूतियों की राशि और विवरण, आवेदक का पूरा नाम और पता तथा उस कार्यालय का स्पष्ट उल्लेख हो जहां आवेदक ब्याज की अदायगी की अपेक्षा करता है।

13. आवेदनपत्रों के साथ आवश्यक राशि नगदी या चेक के रूप में प्रेषित की जानी चाहिए। भारतीय रिज़र्व बैंक या भारतीय स्टेट बैंक के कार्यालय में प्रस्तुत किये जाने वाले चैक संबंधित बैंक के नाम आहरित किये जाने चाहिए।

14. स्वीकृत बैंकों को उनके द्वारा अपने ग्राहकों की ओर से प्रस्तुत ऋण आवेदन-पत्रों पर किये गये आबंटनों पर तथा दलालों को उनके द्वारा प्रस्तुत और उनकी मुहरयुक्त ऋण आवेदनपत्रों पर किये गये आबंटनों पर प्रति रु. 100.00 (सांकेतिक) 6 पैसे की दर पर दलाली अदा की जायेगी। बैंक—वाणिज्य और सहकारी बैंक—उनके अपने अभिदानों के लिए दलाली की अदायगी के पात्र नहीं होंगे।

दलाली की अदायगी के लिए ऋण जारी किये जाने की तारीख से छः महीने के भीतर संबंधित कार्यालयों में दावा पेश किया जाना चाहिए।

राष्ट्रपति के आदेश से,

के. एस. शास्त्री, अवर सचिव

आवेदन-पत्र का फार्म

मैं/हम*

(पूरा/पूरे नाम)

इसके साथ रु (..... रुपये) के लिये

नकदी*/चैक प्रस्तुत करता हूं/करते हैं और यह अनुरोध करता हूं/करते हैं कि मुझे/हमें* नीचे उल्लिखित मूल्यवर्ग/मूल्यवर्गों के वचनपत्र (वचनपत्रों)* स्टाक प्रमाणपत्रों के रूप में रु के सांकेतिक मूल्य की 10.50 प्रतिशत ऋण, 1996 (दूसरा निर्गम)*/11.30 प्रतिशत ऋण, 2004* की प्रतिभूतियां जारी की जाएं :—

प्रति वचनपत्र रु का (के)† वचनपत्र

प्रति वचनपत्र रु का (के)† वचनपत्र

प्रति वचनपत्र रु का (के)† वचनपत्र

2. मैं/हम* चाहता हूं/चाहते हैं कि उनका ब्याज में जमा किया जाए।

विशेष टिप्पणी :	इस खाने में आवेदक कुछ न लिखें। प्रविष्टियां आपाता कार्यालय द्वारा की जाएंगी।		
	आद्याक्षर	दिनांक	
आवेदन पत्र सं.			हस्ताक्षर :
"दलाली नहीं" मुहर			पूरा (पूरे) नाम
नकदी प्राप्त होने की तारीख			
चेक वसूल होने की तारीख			पता
विशेष चालू खाते में जमा करने की तारीख			
जांच की गयी			
नकदी आवेदनपत्रों के रजिस्टर में दर्ज किया गया			दिनांक : अक्तूबर, 1986
दलाली रजिस्टर में दर्ज किया गया			
मांग पत्र सं.			
प्रतिभूति सं.			
कार्ड सं.			
बाउचर पारित करने की तारीख			

*जो आवश्यक न हो उसे काट दिया जाए।

†10.50 प्रतिशत ऋण, 1996 (दूसरा निर्गम) के संबंध में वचनपत्र रु. 1,000, रु. 5,000, रु. 10,000, रु. 25,000 रु. 50,000 और रु. 1,00,000 के मूल्यवर्ग में जारी किये जायेंगे। जो मूल्य वर्ग अपेक्षित हो (हों) उसका/उनका यहां उल्लेख करें।

11.30 प्रतिशत ऋण, 2004 के संबंध में प्रतिभूतियां केवल स्टाक प्रमाणपत्रों के रूप में जारी की जायेंगी।

टिप्पणियां :—(1) प्रत्येक ऋण, अभिदान के प्रत्येक प्रकार और अपेक्षित नये ऋण के प्रत्येक प्रकार की प्रतिभूति (स्टाक प्रमाणपत्र या वचनपत्र) के लिए अलग-अलग आवेदन किया जाए।

(2) यदि आवेदक का हस्ताक्षर अंगूठे के निशान के रूप में हो तो दो व्यक्ति उसके साक्षी हों। साक्षियों के हस्ताक्षरों के नीचे उनके पूरे नाम, व्यवसाय और पते दिये जाएं।

(3) यदि आवेदन किसी पंजीकृत निकाय के नाम से किया जाए तो निवेश आवेदनपत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेज, यदि वे लोक ऋण कार्यालय में पहले ही पंजीकृत न किये गये हों तो संलग्न किये जाएं :—

(i) निगमन/पंजीकरण का मूल प्रमाणपत्र या कार्यालय के मुद्रांक के अधीन जारी करने वाले प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित उसकी सत्य प्रतिलिपि।

(ii) कंपनी/निकाय के बहिर्नियमों और अंतर्नियमों या नियमों और विनियमों/उप-नियमों की प्रमाणित प्रतिलिपियां।

(iii) कंपनी/निकाय की ओर से सरकारी प्रतिभूतियों का लेनदेन करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति(यों) के पक्ष में किये गये संकल्प की प्रमाणित प्रतिलिपि, उसके/उनके विधिवत् सत्यापित नमूना हस्ताक्षर/हस्ताक्षरों के साथ।

(4) जो आवेदक स्टाक प्रमाणपत्रों के रूप में प्रतिभूतियां प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें छमाही ब्याज के प्रेषण के लिए प्रादेश फार्म (लोक ऋण कार्यालय में उपलब्ध) भी भरना चाहिए।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

New Delhi, the 20th October, 1986

NOTIFICATION

No. F. 4 (5) W & M/86.—Subscriptions for the issues of 10.50 per cent, Loan 1996 (Second Issue) and 11.30 per cent. Loan, 2004 for an aggregate amount of Rs. 600 crores will be received in the form of cash on the 27th October 1986 up to the close of Banking hours. In the event of 27th October 1986 being declared a holiday by any State Government under the Negotiable Instruments Act, 1881, the subscriptions will be received at the concerned receiving offices in that State upto the close of Banking hours on the next working day. Government reserves the right to retain subscriptions received upto 10 per cent or as near thereto as possible in excess of the sum of Rs. 600 crores.

2. If the total subscriptions to the aforesaid loans exceed the sum of Rs. 660 crores, partial allotment will be made to the subscribers in cash on a proportionate basis. If partial allotment is made, the excess subscriptions will be refunded as soon as possible after partial allotment. No interest will be paid on the amounts so refunded.

3. 10.20 per cent Loan, 1996 (Second Issue) issued at Rs. 100.00 per cent. and redeemable at par on the 24th May, 1996.

(i) Date of Repayment.—The Loan will be repaid at par on the 12th May, 1996.

(ii) Issue Price.—The issue price will be Rs. 1000.00 for every Rs. 1000.00 (Nominal).

(iii) Interest.—The Loan will bear interest at the rate of 10.50 per cent per annum from 27th October 1986. Interest for the period from 27th October 1986 to 11th November 1986 (inclusive) will be paid on 12th November 1986 and thereafter interest will be paid half-yearly on the 12th May and 12th November. The interest paid will, subject to the provisions of paragraphs 7 and 8 below, be liable to tax under the Income-tax Act, 1961. The net amount of interest will be paid after rounding off to the nearest 5 paise.

4. 11.30 per cent Loan, 2004 issued at Rs. 100.00 per cent. and redeemable at par on the 27th October, 2004.

(i) Date of Repayment.—The Loan will be re-

(ii) Issue Price.—The issue price will be Rs. 1000.00 for every Rs. 1000.00 (Nominal).
paid at par on the 27th October, 2004.

(iii) Interest.—The Loan will bear interest at the rate of 11.30 per cent. per annum from 27th October 1986. Interest will be paid half-yearly on the 27th April and 27th October. The interest paid will, subject to the provisions of paragraphs 7 & 8 below, be liable to tax under the Income-tax Act, 1961. The net amount of interest will be paid after rounding off to the nearest 5 paise.

SUPPLEMENTARY PROVISIONS

5. Applications will be received at:—

(a) Offices of the Reserve Bank of India at Ahmedabad, Bangalore, Bhubaneswar, Bombay (Fort and Byculla), Calcutta, Gauhati, Hyderabad, Jaipur, Kanpur, Madras, Nagpur, New Delhi, Patna and Trivandrum; and

(b) Branches of the State Bank of India at all the District Headquarters in India Except at (a) above.

6. Place of Payment of Interest.—Interest on the Loans will be paid at the Public Debt. Offices of the Reserve Bank of India at Ahmedabad, Bangalore, Bhubaneswar, Bombay, Calcutta, Gauhati, Hederabad, Jaipur, Kanpur, Madras, Nagpur, New Delhi, Patna and Trivandrum and at any Treasury or Sub-Treasury elsewhere in India except the states of Jammu and Kashmir and Sikkim.

7. Refunds of tax deducted at the time of payment of interest (at the rates prescribed by the Annual Finance Acts) will be obtainable by holders of the Loan who are not liable to tax or who are liable to tax at rates lower than the rate at which tax was deducted.

A holder who is not liable to tax or who is liable to tax at a rate lower than the prescribed rate, can obtain, on application a certificate from the Income-tax Officer of the district, authorising pay ment of interest to him without deduction of tax or with deduction of tax at such lower rate as may be applicable to the holder.

An individual resident in India whose total income does not exceed the exemption limit can obtain, on furnishing a declaration in the prescribed form in duplicate to the person responsible for paying the interest, the amount of interest without deduction of tax.

8. Interest on the Loans now issued together wtih interest on other previous Government Securities and income from other approved investments will be exempt from income-tax subject to a limit of Rs. 7,000 per annum and subject to the other provisions of section 80L of the Income-tax Act, 1961.

9. The value of investments in the Loans now issued together with the value of other previous investments in Government Securities and the other investments specified in Section 5 of the Wealth-tax Act will also be exempt from the wealth-tax upto the limit specified in the Act.

10. The securities in respect of 10.50 per cent Loan, 1996 (Second Issue) will ze issued in the form of :—

(i) Stock Certificates; or

(ii) Promissory Notes.

If no preference is stated by the applicants, the securities will be issued in the form of Stock Certificates. The securities in respect of 11.30 per cent Loan, 2004 will be issued only in the form of Stock Certificates.

11. Applications for the Loans.—Applications for the Loans must be for Rs. 1000 or a Multiple of that sum.

12. Applications may be in the form attached hereto or in any other form which states clearly the amount and description of the securities required, the full name and address of the applicant and the office at which he desires the interest to be paid.

13. Applications should be accompanied by the necessary payment in the form of cash or cheque. Cheques tendered at the office of the Reserve Bank of India or the State Bank of India should be drawn in favour the bank concerned.

14. Brokerage will be paid at the rate of 6 paise per Rs. 100.00 (Nominal) to recognised banks on allotments in respect of applications for the loans tendered by them on behalf of their clients and brokers on allotments made in respect of applications for the loans tendered by them and bearing their stamp. Banks—Commercial and Co-operative banks—will not be eligible for payment of brokerage in respect of their own subscriptions.

The claim for payment of brokerage should be preferred at the concerned offices within six months from the date of floatation of the loans.

By Order of the President,

K. S. SASTRY, Jt. Secy.

FORM OF APPLICATION

I/We*

[Full Name(s) in Block Letters]

.....

herewith tender *Cash / Cheque for Rs. (Rupees)

and request that Securities of 10.50 per cent. Loan, 1996 (Second Issue) */11.30 per cent. Loan, 2004* of the nominal value of Rs. may be issued to me/us*

in the form of *Promissory Note(s) in the denomination(s) stated below:— / Stock Certificate.

..... Promissory Note(s) † of Rs. each.

..... Promissory Note(s) † of Rs. each.

..... Promissory Note(s) † of Rs. each.

2. I/We* desire that interest be paid at

N.B. — The applicant should not write anything in this case. The entries will be filled in by the Receiving Office.

	Initials	Date
Application No.		
N.B. Stamp		
Cash Received on		
Cheque Realised on		
Credited to Special Current Account on		
Examined		
Cash Applications Register posted		
Brokerage Register posted		
Indent No		
Scrip No		
Card No		
Voucher passed on		

Signature(s)

Name(s) in full (Block Letters)

.....

.....

Address

.....

.....

.....

.....

Dated the of October, 1986.

*Delete what is not required.

†Promissory Notes in respect of 10.50 per cent. Loan, 1996 (Second Issue) will be issued in denomination of Rs. 1000, Rs. 5000, Rs. 10,000, Rs. 25,000, Rs. 50,000 and Rs. 1,00,000. State here the particular denomination(s) required.

The securities in respect of 11.30 per cent. Loan, 2004 will be issued only in the form of Stock Certificates.

NOTES :—

(1) Separte applications should be made for each Loan, each form of subscription and each form of scrip (Stock Certificate or Promissory Note) of the New Loan required.

(2) If the applicant's signature is by thumb mark, it should be witnessed by two persons. The full names, occupations and addresses of the witnesses should be appended to their signatures.

(3) If the application is made in the name of the registered body, the undernoted documents, if not already registered at the Public Debt Office shoudl be enclosed with the investment application :—

(i) Certificate of Incorporation|Registration in original or a copy thereof certified as true by the issuing authority under his office seal.

(ii) Certified copies of Memorandum and Articles of Association or the Rules and Regulations|Bye-laws of the company|body.

(iii) Certified copy of resolution in favour of the person's authorised to deal in Government Securities on behalf of the company|body together with his|their duly attested specimen signature(s).

(4) Applicants desiring the issue of scripts in the form of Stock Certificates should also complete a Mandate Form (obtainable from Public Debt Office) for remittance of half-yearly interest to them.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1986

रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.) 72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकरण से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 238] नई दिल्ली, बुधवार, अक्तूबर 22, 1986/आश्विन 30, 1908
No. 238] NEW DELHI, WEDNESDAY, OCT. 22, 1986/ASVINA 30, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as separate compilation

वाणिज्य मंत्रालय

निर्यात व्यापार नियंत्रण

सार्वजनिक सूचना सं. 23-ई. टी. सी. (पी. एन.)/86

नई दिल्ली, 22 अक्तूबर, 1986

विषय :—बाजरे, ज्वार और रागी का निर्यात

फा. सं. 40(28)/86-ई 2:—उपर्युक्त विषय पर आयात एवं निर्यात नीति अप्रैल, 1985—मार्च, 1988 (खण्ड दो) के नीति विवरण की क्रम सं. 20 घ, 20 ङ और 20 च की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है।

2. वर्तमान नीति में आंशिक संशोधन करते हुए बाजरे, ज्वार और रागी का निर्यात (1) नेफेड और (2) निजी व्यापार द्वारा अनुमित किया